नकल पट्टानामा

अरसा चालीस साल, 142500/– रूपये सालाना, स्टाम्प : 17100 किते 4
स्टाम्प न. 2837 दिनांक 26–9–2006 टी.ओ. झज्जर।
15,000×1, 1000×2, 100×1

हम कि सुमेर सिंह सपुत्र हरनाम पुत्र मुखराम निवासी ग्राम कासनी तहसील वा जिला झज्जर का
हूँ फरीक अव्वल वा ए.एस. खरब मैमोरियल ट्रस्ट मुण्डेला कलां नई दिल्ली –73 ब्रांच ग्राम कासनी
तहसील वा जिला झज्जर बजरिये विजय पाल पुत्र अतर सिंह निवासी मुण्डेला कलां नई
दिल्ली–73 ट्रस्टी का हूँ फरीक दोयम । जो कि अराजी जरई खेवट न0 279/257–258 मिन
खाता नं. 298 मु. नं. 32 किला नं. 16/1(7–4) रकबा 7 कनाल 4 मरले के 1/2 भाग, बकदर 3
कनाल 12 मरले वा खेवट नं. 281/259 मिन, खाता नं. 300मु. नं. 20 किला नं. 14/1(2–0) मु.
नं. 32 किला नं. 15/2(4–0) मु. नं. 33 किला नं. 22 (8–0) मु. न. 86 किला नं. 18/2(3–0)
19/1(6–0), 19/2(2–0) रकबा तादादी 25 कनाल के 109/500 भाग बकदर, 5 कनाल 9 मरलें
वा खेवट नं. 263/260–261 खाता नं. 302 मु. न. 32 किला नं.16/2(0–16), 25/1(4–4),
25/2(3–16) मु. नं. 33 किला नं. 11/2(5–2) 20 (8–0), 21 (8–0) रकबा तादादी 29 कनाल 18
मरलें के 1/2 भाग बकदर 14 कनाल 19 मरलें कुल रकबा हर तीन खेवटजात का 24 कनाल
0 मरलें वाक्या रकबा मौजा कासनी तहसील वा जिला झज्जर का फरीक अव्वल बरूवे फर्द
जमाबन्दी साल व बरूवे पूर्ण स्वामी हैं। तथा जो हर प्रकार के भार से मुक्त है। अतः अब फरीक

सुमेर सिंह फरीक अव्वल

विजयपाल ट्रस्टी मिन जानिब ट्रस्ट फरीक दोयम

For A.S. Kharb Memorial Trust

Chief Trustee

ATTESTED

प्रलेख नः 3483

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील झज्जर

गांव/शहर कासनी

डीड संबंधी विवरण

दिनांक 26/09/2006

धन संबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई 142,500.00 रुपये

स्टाम्प ड्यूटी की राशि 17,100.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 500.00 रुपये

पेस्टिंग शुल्क 2.00 रुपये

Drafted By: महेन्द्र सिंह

यह प्रलेख आज दिनांक 26/09/2006 दिन मंगलवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सुमेर सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी हरनाम निवासी कासनी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री सुमेर सिंह

संयुक्त सब रजिस्ट्रार / संयुक्त पंजीयन अधिकारी
झज्जर झज्जर

उपरोक्त पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी विजयपाल श्री पट्टा लेने वाला हाजिर हैं। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर/समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी ओमप्रकाश पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रूपराम निवासी कासनी व श्री/श्रीमती/कुमारी बलबीर सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी भरतसिंह निवासी कासनी ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 26/09/2006

संयुक्त सब रजिस्ट्रार / संयुक्त पंजीयन अधिकारी
झज्जर झज्जर

ATTESTED
Sub Registrar
JHAJJAR
27/11/06

अव्वल ने स्वस्थचित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में उक्त भूमि को मयहक हकूक हर किस्मी रास्ता वगैरा के अरसा चालीस सालं तक यानि 26–09–2006 से 25–09–2046 तक बतकरूर लगान 142500/– रू0 (एक लाख बियालिस हजार पांच सौ रूपये) सालाना के हिसाब से फरीक दोयम को वास्ते चलाने स्कूल/ कालेज पट्टे पर दे दी। तथा कब्जा फरीक अव्वल ने फरीक दोयम का मु. नं. 32 किला नं. 16/1(7–4), 16/2(0–16), 25/1(4–4), 25/2(3–16), 15/2(4–0) मु. नं. 33 किला नं. 21 मिन (4–0) पर करा दिया है। हम फरीकन में निम्नलिखित शर्तें इकरार पाई है :–

1. यह कि फरीक दोयम उक्त भूमि में स्कूल बिल्डिंग बनाए, खेल के मैदान हेतु प्रयोग करे। इसमें फरीक अव्वल को कोई उजर एतराज ना होगा।
2. यह कि फरीक अव्वल अरसा 40 साल यानि दिनांक 26–9–2006 ता 25–9–2046 तक फरीक दोयम के शिक्षा सम्बन्धित कार्य में किसी भी प्रकार की कोई रूकोवट नहीं डालेगा।
3. यह कि फरीक दोयम लगान की राशि सालाना अदा करता रहेगा व रसीद हासिल करता रहेगा।
4. यह कि यदि फरीक अव्वल उक्त भूमि को बिकी करना चाहेगा तो फरीक दोयम बाजारी कीमत पर खरीद सकते है।
5. यह कि अवधि समाप्त होने पर फरीकैन की सहमती से पट्टा नामा की म्याद को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
6. यह कि अवधि समाप्त होने पर फरीक दोयम को बिल्डिंग वाली भूमि को खरीदने का पूरा हक होगा।

सुमेर सिंह फरीक अव्वल

विजयपाल ट्रस्टी मिन जानिब ट्रस्ट फरीक दोयम

For A.S. Kharb Memorial Trust

Chief Trustee

ATTESTED

7. यह कि अगर फरीक दोयम ने लगान सालाना फरीक अव्वल को अदा नहीं किया तो फरीक अव्वल को बजरिये अदालत दीवानी फरीक दोयम को बेदखल करने का हक हासिल होगा। अदालत बेदखल करने का अधिकार होगा।
8. यह कि फरीक दोयम उक्त भूमि में स्कूल/ कालेज शिक्षा समिति यानि की शिक्षा से सम्बन्धित कार्य हेतु प्रयोग करेगा। किसी अन्य प्रयोजन में नहीं।
9. यह कि फरीक दोयम उक्त भूमि को किसी दीगर शक्श को सबलेट नहीं कर सकेगा।
10. यह कि हम दोनों फरीकैन उक्त शर्तों के पाबन्द रहेंगे। अगर कोई सा भी फरीक शर्त तोड़ेगा तो शर्त तोड़ने वाला फरीक दूसरे फरीक के हर्जे व खर्चे का जिम्मेवार होगा। अतः यह पट्टानाम लिख दिया कि प्रमाण रहे दिनांक 26-9-2006।

सुमेर सिंह फरीक अव्वल

विजयपाल ट्रस्टी मिन जानिब ट्रस्ट फरीक दोयम

साक्षी न0 1
ओमप्रकाश नम्बरदार पुत्र
सन्तुराम निवासी कासनी
तहसील वा जिला झज्जर

साक्षी न0 2:-
बलबीर सिंह पुत्र भरत सिंह
निवासी कासनी तहसील वा
जिला झज्जर।

नकल मुताबिक असल है।
मजबून दस्तावेज हजा फरीकैन वा
गवाहन को पढकर सुनाया व
समझाया गया है।

ATTESTED
Sub Registrar
JHAJJAR

472 26-9-2006

For A.S. Kharb Memorial Trust

Chief Trust...

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
3483	2006-2007	1

पट्टा देने वाला   पट्टा लेने वाला   गवाह

पट्टा देने वाला

सुमेरसिंह ____________

पट्टा लेने वाला

विजयपाल ____________

गवाह ओमप्रकाश ____________ बलबीर सिंह ____________

<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 3,483 आज दिनाँक 26/09/2006 को बही नः 1 ज़िल्द नः482 प्रष्ठ नः 73 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जल्द नः 3,229 के प्रष्ठ सख्या 90 से 92 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये हैं ।

दिनाँक 26/09/2006

संयुक्त सब रजिस्ट्रार / पंजीयन अधिकारी
झज्जर   झज्जर

ATTESTED
Sub Registrar
JHAJJAR
(7/11/06)

7. यह कि अगर फरीक दोयम ने लगान सालाना फरीक अव्वल को अदा नहीं किया तो फरीक अव्वल को बजरिये अदालत दीवानी फरीक दोयम को बेदखल करने का हक हासिल होगा। अदालत बेदखल करने का अधिकार होगा।
8. यह कि फरीक दोयम उक्त भूमि में स्कूल/ कालेज शिक्षा समिति यानि की शिक्षा से सम्बन्धित कार्य हेतु प्रयोग करेगा। किसी अन्य प्रयोजन में नहीं।
9. यह कि फरीक दोयम उक्त भूमि को किसी दीगर शख्श को सबलेट नहीं कर सकेगा।
10. यह कि हम दोनों फरीकैन उक्त शर्तो के पाबन्द रहेंगे। अगर कोई सा भी फरीक शर्त तोड़ेगा तो शर्त तोड़ने वाला फरीक दूसरे फरीक के हर्जे व खर्चे का जिम्मेवार होगा। अतः यह पट्टानामा लिख दिया कि प्रमाण रहे दिनांक 26-9-2006।

सुमेर सिंह फरीक अव्वल

विजयपाल ट्रस्टी मिन जानिब ट्रस्ट फरीक दोयम

साक्षी न0 1 :-
औमप्रकाश नम्बरदार पुत्र
सन्तुराम निवासी कासनी
तहसील वा जिला झज्जर

साक्षी न0 2:-
बलबीर सिंह पुत्र भरत सिंह
निवासी कासनी तहसील वा
जिला झज्जर।

नकल मुताबिक असल है।
मजबून दस्तावेज हजा फरीकैन वा
गवाहन को पढकर सुनाया व
समझाया गया है।

472 26-9-2006

ATTESTED
Sub Registrar
JHAJJAR

For A.S. Kharb Memorial Trust

Chief Trustee